रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2019/भाद्र 26, 1941
No. 540] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2019/BHADRA 26, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 663(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित प्रारूप नियम अर्थात पेटेंट (संशोधन) नियम, 2018 को ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराईं गईं थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग), की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1172 (अ), तारीख 4 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ 5 दिसंबर, 2018 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 के उप-नियम (1क), के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1क) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पेटेंट अभिकर्ता सम्यक रूप से अधिप्रमाणित सभी दस्तावेजों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा फाइल करेगा, छोड़ेगा, बनाएगा या देगा:

परंतु कोई दस्तावेज जिसे मूल रूप से प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा गया हो, पंद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा, अन्यथा उस दस्तावेज को फाइल नहीं किया गया मान लिया जाएगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 7 में, उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह और कि किसी लघु अस्तित्व, अथवा स्टार्टअप के संदर्भ में प्रत्येक दस्तावेज़, जिसके लिए कोई फीस विहित है, प्ररूप -28 के साथ संलग्न होगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 24 ग के उप-नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

"(ख) यह कि आवेदक एक स्टार्ट-अप है; अथवा

(ग) यह कि आवेदक एक लघु अस्तित्व है; अथवा

(घ) यह कि यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति है अथवा संयुक्त आवेदकों के संबंध में, सभी आवेदक प्रकृत व्यक्ति हैं, तो आवेदक अथवा आवेदकों में कम से कम एक महिला है; अथवा

(ङ) यह कि आवेदक सरकारी विभाग है; अथवा

(च) यह कि आवेदक केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है; अथवा

(छ) यह कि आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा (2) के खंड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी है; अथवा

(ज) यह कि आवेदक सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान है।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "सारवान रूप से वित्तपोषित" का अर्थ नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 14 की उप-धारा (1) में स्पष्टीकरण का ही अर्थ होगा; अथवा

(झ) यह कि आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सेक्टर से संबंधित है, जो केंद्रीय सरकार के विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर आधारित है:

परंतु ऐसी किसी भी अधिसूचना से पहले सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी; अथवा

(ञ) यह कि भारतीय पेटेंट कार्यालय और विदेशी पेटेंट कार्यालय के बीच करार के अनुसरण में पेटेंट आवेदन के प्रसंस्करण हेतु व्यवस्था के तहत आवेदक पात्र है।

स्पष्टीकरण:- उपरोक्त खंड (ञ) के अधीन फाइल पेटेंट आवेदनों की पेटेंट योग्यता अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार होगी।"

5. उक्त नियमों की, प्रथम अनुसूची में,-

(क) प्रविष्टि संख्या 48 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"48क.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण फीस (ई-पीसीटी फाईलिंग के लिए)।	-	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता";

IndiaCode

(ख) प्रविष्टि संख्या 49 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"49क.	पूर्वोक्त दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन डीएएस (वायपो डेस) के माध्यम से ई-पारेषण।	-	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता"।

6. उक्त नियमों की, द्वितीय अनुसूची में, प्ररूप 18 क में, पैरा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"3. आवेदक शीघ्र परीक्षण के लिए अनुरोध हेतु निम्नलिखित में से लागू आधार पर (समुचित बॉक्स में निशान लगा कर) उपदर्शित करे/करें:

☐ कि अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आवेदन में भारत को सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी के रूप में उपदर्शित किया गया है अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप में चयनित किया है; अथवा

☐ कि आवेदक एक स्टार्ट-अप है; अथवा

☐ कि आवेदक एक लघु अस्तित्व है; अथवा

☐ कि आवेदक प्रकृत व्यक्ति है अथवा संयुक्त आवेदकों के संबंध में, सभी आवेदक प्रकृत व्यक्ति हैं, तो आवेदक अथवा आवेदकों में कम से कम एक महिला है; अथवा

☐ कि आवेदक सरकारी विभाग है; अथवा

☐ कि आवेदक केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है; अथवा

☐ कि आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा (2) के खंड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी है; अथवा

☐ कि आवेदक सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान है; अथवा

☐ कि आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सेक्टर से संबंधित है, जो केंद्रीय सरकार के विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर आधारित है; अथवा

☐ कि भारतीय पेटेंट कार्यालय और विदेशी पेटेंट कार्यालय के बीच करार के अनुसरण में पेटेंट आवेदन के प्रसंस्करण हेतु व्यवस्था के तहत आवेदक पात्र है।

4	शीघ्र परीक्षण की पात्रता के साक्ष्य के रूप में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:
क.	**कि अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आवेदन में भारत को सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी के रूप में उपदर्शित किया गया है:** - अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए), भारत द्वारा जारी सुसंगत आईएसए संख्या। **कि अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आवेदन में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप में चयनित**

IndiaCode

	किया है - अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए), भारत द्वारा जारी सुसंगत आईपीईए संख्या।
ख.	**कि आवेदक एक स्टार्टअप है:**
	क. भारतीय आवेदक के लिए : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्रमाण पत्र। ख. विदेशी अस्तित्व के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज।
ग.	**कि आवेदक एक लघु अस्तित्व है**:
	क. भारतीय आवेदक के लिए: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य। ख. विदेशी अस्तित्व के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज।
घ.	**कि आवेदक प्रकृत व्यक्ति है अथवा संयुक्त आवेदकों के संबंध में, सभी आवेदक प्रकृत व्यक्ति हैं, तो आवेदक अथवा आवेदकों में कम से कम एक महिला है:**
	क. भारतीय आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी महिला आवेदक का फोटो पहचान पत्र। ख. विदेशी आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी महिला आवेदक का फोटो पहचान पत्र।
ङ	**कि आवेदक सरकारी विभाग है:**
	क. भारतीय आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज। ख. विदेशी आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज।
च.	**कि आवेदक केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है**:
	क. भारतीय आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज। ख. विदेशी आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज।
छ.	**कि आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी है**:
	क. भारतीय आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज। ख. विदेशी आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज।
ज.	**कि आवेदक सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान है:**
	क. भारतीय आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज। ख. विदेशी आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज।
झ.	**कि आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सेक्टर से संबंधित है, जो केंद्रीय सरकार के विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर आधारित है:**
	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना और नियंत्रक द्वारा यथापेक्षित दस्तावेज़।

IndiaCode

ञ.	**कि भारतीय पेटेंट कार्यालय और विदेशी पेटेंट कार्यालय के बीच करार के अनुसरण में पेटेंट आवेदन के प्रसंस्करण हेतु व्यवस्था के तहत आवेदक पात्र है:**
	नियंत्रक द्वारा अपेक्षित घोषणा व दस्तावेज।"

[फा. सं. 14/01/2018-आईपीआर–III (पेटेंट)]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 493(अ) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे व अंतिम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1472(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2019

G.S.R. 663(E).—Whereas the draft rules, namely the Patents (Amendment) Rules, 2018 were published as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 1172 (E) dated the 4th December, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 5th December, 2018;

And, whereas, the objections and the suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as said rules), in rule 6, for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a patent agent shall file, leave, make or give all documents only by electronic transmission duly authenticated:

Provided that any document, if asked to be submitted in original, shall be submitted within a period of fifteen days, failing which such documents shall be deemed not to have been filed."

3. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that in the case of a small entity, or startup, every document, for which a fee has been specified, shall be accompanied by Form-28."

4. In the said rules, in rule 24 C, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) that the applicant is a startup; or

(c) that the applicant is a small entity; or

(d) that if the applicant is a natural person or in the case of joint applicants, all the applicants are natural persons, then the applicant or at least one of the applicants is a female; or

(e) that the applicant is a department of the Government; or

(f) that the applicant is an institution established by a Central, Provincial or State Act, which is owned or controlled by the Government; or

(g) that the applicant is a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or

(h) that the applicant is an institution wholly or substantially financed by the Government;

Explanation:- For the purpose of this clause, the term 'substantially financed' shall have the same meaning as in the Explanation to sub-section (1) of section 14 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971(56 of 1971); or

(i) that the application pertains to a sector which is notified by the Central Government on the basis of a request from the head of a department of the Central Government.:

Provided that public comments are invited before any such notification; or

(j) that the applicant is eligible under an arrangement for processing a patent application pursuant to an agreement between Indian Patent Office and a foreign Patent Office.

Explanation:- The patentability of patent applications filed under clause (j) above will be in accordance with the relevant provisions of the Act."

5. In the said rules, in THE FIRST SCHEDULE,-

(a) after entry number 48, the following entry shall be inserted, namely:-

"48A.	Transmittal fee for International application (for ePCT filing).	-	No fee	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable	Not applicable";

(b) after entry number 49, the following entry shall be inserted, namely:-

"49A.	For preparation of certified copy of priority document and e-transmission through WIPO DAS.	-	No fee	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable	Not applicable".

6. In the said rules, in THE SECOND SCHEDULE, in Form 18A, for paragraph 3, the following shall be substituted, namely:-

"3. The applicant(s) to indicate (by ticking the appropriate box) any of the grounds applicable for request for expedited examination:

☐ that India has been indicated as the competent International Searching Authority or elected as an International Preliminary Examining Authority in the corresponding international application; or

☐ that the applicant is a startup; or

☐ that the applicant is a small entity; or

☐ that the applicant is a natural person or in the case of joint applicants, all the applicants are natural persons, then applicant or at least one of the applicants is a female; or

☐ that the applicant is a department of the Government; or

☐ that the applicant is an institution established by a Central, Provincial or State Act, which is owned or controlled by the Government; or

☐ that the applicant is a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or

☐ that the applicant is an institution wholly or substantially financed by the Government; or

☐ that the application pertains to a sector which has been notified by the Central Government, on the basis of

a request from the head of department of the Central Government; or ☐ that the applicant is eligible under an arrangement for processing a patent application pursuant to an agreement between Indian Patent Office and a foreign Patent Office.

4	Documents to be mandatorily submitted as evidence of eligibility for availing expedited examination on the grounds:
a.	**that India has been indicated as the competent International Searching Authority in the corresponding international application:** - Relevant ISA number issued by ISA, India. **that India has been elected as an International Preliminary Examining Authority in the corresponding international application:** - Relevant IPEA number issued by IPEA, India.
b.	**that the applicant is a startup:**
	A. For an Indian applicant: The certificate of recognition as a startup from Department for Promotion of Industry and Internal Trade. B. In case of a foreign entity: Any document as evidence of eligibility.
c.	**that the applicant is a small entity:**
	A. For an Indian applicant: Evidence of registration under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 (27 of 2006). B. In case of a foreign entity: Any document as evidence of eligibility.
d.	**that the applicant is a natural person or in the case of joint applicants, all the applicants are natural persons, then applicant or at least one of the applicants is a female:**
	A. In case of Indian applicant: Photo identity card of female applicant issued by competent authority as evidence of eligibility. B. In case of a foreign applicant: Photo identity card of female applicant issued by competent authority as evidence of eligibility.
e.	**Where the applicant is a department of the Government:**
	A. In case of Indian applicant: Any document as evidence of eligibility. B. In case of a foreign applicant: Any document as evidence of eligibility.
f.	**that the applicant is an institution established by a Central, Provincial or State Act, which is owned or controlled by the Government:**
	A. In case of Indian applicant: Any document as evidence of eligibility. B. In case of a foreign applicant: Any document as evidence of eligibility.
g.	**that the applicant is a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013):**
	A. In case of Indian applicant: Any document as evidence of eligibility. B. In case of a foreign applicant: Any document as evidence of eligibility.
h.	**that the applicant is an institution wholly or substantially financed by the Government:**
	A. In case of Indian applicant: Any document as evidence of eligibility.

IndiaCode

	B. In case of a foreign applicant: Any document as evidence of eligibility.
i.	**that the application pertains to a sector which has been notified by the Central Government, on the basis of a request from the head of a department of the Central Government:**
	Notification from the Central Government and documents as maybe required by the Controller.
j.	**that the applicant is eligible under an arrangement for processing a patent application pursuant to an agreement between Indian Patent Office and a foreign Patent Office:**
	Declarations and documents as maybe required by the Controller."

[F. No. 14/01/2018-IPR-III (Patent)]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1472 (E) dated the 1st December, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.18 19:38:15 +05'30'